acceptability for consumption is determined as per the provisions of PFA Act and phytosanitary aspects. In case of indigenous wheat, the quality at the time of procurement under Price Support Scheme is assessed as per the provisions of uniform specifications prescribed for the particular marketing season. As such the relative price of imported wheat and indigenous wheat cannot be compared.

(d) A total of 35.38 lakh tonnes of wheat has been procured for Central Pool during the current Rabi Marketing Season (1997-98) as on 7.5.1997.

(e) The stock of wheat in the Central Pool as on 1.4.1997 is estimated at 32.40 lakh tonnes.

**किसान संगठनों द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य का विरोध किया जाना**

3715. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक किसान संगठनों ने सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य की घोषणा के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो किसान संगठनों की मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मांगों पर विचार करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र):** (क) से (ग) भारतीय किसान यूनियन और कुछ अन्य किसान संगठनों ने गेहूं के लिए 550/- रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते हुए आन्दोलन किया था। खाद्य मंत्री ने 26.4.1997 को चण्डीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों के साथ मुलाकात की। इस चर्चा के दौरान सरकार द्वारा गेहूं के पहले ही घोषित 415/- रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 60/- रुपये प्रति क्विंटल की बोनस राशि में और किसी प्रकार की वृद्धि को नकार दिया गया था। भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों द्वारा 28.4.1997 को अपना आन्दोलन वापस लेने के बारे में सूचना मिली है।

**खाद्यान्न उत्पादन और आवश्यकता तथा उत्पादन में अनुमानित अन्तर**

3716. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 1996-97 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन अधिकतम होने के कारण खाद्यान्न उपलब्धि की स्थिति आसान होने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो गेहूं कि कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा और देश में वर्ष 1996-97 के दौरान खाद्यान्न की आवश्यकता तथा उत्पादन में कितना अंतर होने का अनुमान है?

**कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र):** (क) और (ख) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश में खाद्यान्नों का उत्पादन क्रमशः 191.50 मिलियन टन, 185.00 मिलियन टन और 192.12 मिलियन टन (संभावित) हुआ। यद्यपि, खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता गिरकर 1996 में 496.7 ग्राम प्रति दिन हो गई जो 1995 में 507.7 ग्राम प्रति दिन थी जबकि गेहूं की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता थोड़ी सी बढ़कर 1996 में 178.9 ग्राम प्रति दिन हो गई जो 1995 में 172.0 ग्राम प्रति दिन थी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति, देश में खाद्यान्नों के उत्पादन, वसूली प्रवृत्ति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकता, खुले बाजार के मूल्यों आदि जैसे विभिन्न घटकों पर विचार करने के बाद सरकार ने 1996-97 और 1997-98 में देश में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने का निर्णय किया था ताकि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके।

**गेहूं का स्टाक और गेहूं की कम खरीद**

3717. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक अप्रैल, 1994, 1995, 1996 और 1997